

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आजा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1547/2020

दिनांक : 19.08.2020

श्री निलेश सिंह चौधरी (RJ0790), अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), जोधपुर महानगर को दिनांक 21.09.2020 से 25.09.2020 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 20.09.2020 एवं 26.09.2020 से 27.09.2020 राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री चौधरी की अनुपस्थिति में अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सी.बी.आई. प्रकरण), जोधपुर महानगर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), जोधपुर महानगर के पद पर ही होने की संभावना है ।

आजा से
 19.08.2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/73/2013/3456

दिनांक : 19.08.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 3674 दिनांक 07.08.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री निलेश सिंह चौधरी (RJ0790), अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), जोधपुर महानगर ।
4. अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), जोधपुर महानगर ।
5. अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सी.बी.आई. प्रकरण), जोधपुर महानगर ।


19/8/20
सहायक रजिस्ट्रार